को इस बारे मे माइनर मौडिफिकेशन करने का हक है, लेकिन एक खास पीरियड तक सैंट्रल गवर्नमेंट या एल० एड डी० ओ० को रिपोर्ट करना चाहिए था। वह नही हुआ। लेकिन अगर उसे इस्टीटयूशनल एरिया मान भी लिया जाये, तब भी वहा होटल नही बन सकता था। उस प्लाट मे जमीन के तीन हिस्से थे। एक हिस्सा वह है, जिस की मालिक खुद नई दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी थी। दूसरा हिस्सा एल० एड डी० ओ० ने नई दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी को लीज पर दे रखा था। लीज की शर्त यह थी कि अगर इसको किसी और इस्तेमाल मे लाया जायेगा, तो उसके लिए एल० एड डी० ओ० या सैंट्रल गवर्नमेंट से बाकायदा इजाजत ली जायेगी। वह इजाजत नही ली गई। दूसरे टुकडे को भी एस० पी० अग्रवाल साहब को दे दिया गया। तीसरा टुकडा कतई तौर पर एल० एड डी० ओ० का था, जो न लीज पर था और न नई दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी इसकी मालिक थी। वह तीसरा हिस्सा भी इस लिए दे दिया गया कि फर्म ने क्लेम किया कि वहा पर जो 24 इच का पाइप चलता था, उसे हटा कर एक तरफ किया जाये, क्योंकि उससे कुछ जमीन जाया होती थी। तो उन्होने उस का कम्पन्सेशन क्लेम किया और यह तीसरा हिस्सा भी दे दिया गया। ये सब इर्रेगुलैरिटीज हुई।

चौधरी बलबीर सिह : क्या मत्री महोदय बताएगे कि जिन लोगो ने यह गलती की है उन के खिलाफ बाकायदा तौर पर सीधे ही कोर्ट मे केस क्या नही दिया गया? यह सी बी आई रिपोर्ट और इस किस्म की दूसरी कार्यवाही करने का मतलब सिवाय इसके और कुछ नही होता कि एक लम्बा प्रोसेस हो जाये और वह बाद मे किसी न किसी जगह जा कर खत्म हो जाये। जब उन्होने ओपेनली जो शरायत है उन शरायत के खिलाफ काम किया है तो उन के खिलाफ सीधे मुकदमा क्यो नही अदालत में दिया गया?

श्री सिकन्दर बख्त : बेहतर यह समझा गया कि जब प्रासीक्यूशन हो उसके पहले पूरे तौर से कानूनी तौर पर केस को मजबूत कर लिया जाये, उसके बाद अदालत मे भेजा जाये।

चौधरी बलबीर सिह : सो बी आई की एन्क्वायरी का कोई अरसा मुकर्रर है?

श्री सिकन्दर बख्त : सी बी आई की एन्क्वायरी का कोई अरसा मुकर्रर नही है लेकिन यह उन से कहा गया है कि एक्सपीडाइट किया जाये।

श्री सुरेन्द्र विक्रम : क्या यह सही है कि डी डी ए ने बहुत से ऐसे प्लाट्स ले लिए है जिन का लिए हुए तीन साल से अधिक का समय हो गया है लेकिन न उनका आज तक नाटिफिकेशन हुआ है और न मालिको का कोई मुआवजा दिया गया है। यदि यह सही है तो उन के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है?

MR DEPUTY SPEAKER It does not arise from this question

भारत सरकार के मुद्रणालयो की प्रशिक्षु योजना

*266. **श्री नवाब सिह चौहान :** क्या **निर्माण और आवास तथा पति और पुनर्वास** मत्री यह बताने की कृपा करेगे कि।

(क) मुद्रणालयो की प्रशिक्षु योजना के अन्तर्गत कितने व्यक्तियो का प्रशिक्षण दिया गया और उन पर कितना व्यय हुआ और क्या यह योजना अभी तक जारी है, और

(ख) इन प्रशिक्षित व्यक्तियों में से कितने व्यक्तियों को मुद्रणालयों में नौकरियां दी गई और यदि इन्हें नौकरियां नहीं दी गई हैं तो उनके क्या कारण हैं और उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करने के बारे में भावी योजना क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : (क) प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत कतिपय औद्योगिक एककों का, चाहे वे सरकार द्वारा चलाए जा रहे हों या नहीं, विशिष्ट संख्या में प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देना कानून अनिवार्य है। भारत सरकार मुद्रणालयों द्वारा प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देकर ये सांविधिक अपेक्षिताएं पूरी की जाती है। वर्ष 68-69 से जनवरी, 1978 तक किया गया खर्च 66 99 लाख रुपये है। प्रशिक्षित किए गए प्रशिक्षुओं के आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं।

(ख) यह मात्र ऐसा सुविधा है जो अधिनियम के अन्तर्गत उपलब्ध करानी ही होती है। मालिकों के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि जिन प्रशिक्षुओं को वह प्रशिक्षित करता है उन्हें नौकरी भी दे। अतः इस बात का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री नवाब सिंह चौहान इस अप्रेंटिशशिप योजना पर जो खर्च बताया है, वह 68–69 से बताया है। लगभग पौन करोड़ रुपया इस पर खर्च किया गया और यह योजना तो बहुत दिनों से चल रही है। काफी रुपया इस पर खर्च हो गया। उत्तर में यह बताया गया है कि अभी इसके आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं कि कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया गया। दस-बारह या तेरह प्रेस होंगे, यह मुझे मालूम है। मेरा नोटिस कम से कम एक महीने पहले गया हुआ है। नोटिस मिलते ही सम्बन्धित कार्यालय को खबर चली जाती है पहले से। ऐसी कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि क्यों आंकड़े अभी तक इकट्ठे नहीं हुए। एक दिन में ये आंकड़े इकट्ठे हो सकते है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि ये आंकड़े न आने का कारण क्या है और यह योजना कब से चल रही है ? यह मैं मानता हूं कि आबलिगेटरी नहीं है लेकिन क्या सैंकड़ों आदमी अभी तक बेकार नहीं फिर रहे है और क्या उन के प्रेसों में ऐसी जगहें नहीं निकली ? चाहे जरूरी न हो लेकिन जब उन के प्रेसों में इन्हीं ट्रेड्स की जगहें निकली तो उन पर इन को क्यों नहीं रखा गया ? इन प्रेसों में काम करने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं जो रिटायर हो चुके है और उन के ऐसे ट्रेन्ड लड़के बेकार फिर रहे है। क्या माननीय मंत्री जी इसके ऊपर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ?

श्री राम किंकर : भारतवर्ष में कुल 18 प्रेस हैं और उन 18 प्रेसों में यह सन् 66 में लागू किया गया। लेकिन जो इन में खर्च दिखलाया गया है वह 1968-69 में बराबर दस वर्ष का खर्च है 66 लाख 99 हजार रुपये। बाकी सूचना एकत्रित की जा रही है। अप्रेंटिसेस ऐक्ट 1961 में ऐसी व्यवस्था है कि यह कोई कम्पल्सरी नहीं है कि हम जितने आदमियों को ट्रेनिंग दें उन को नौकरी में रख लें। लेकिन हम वरीयता देते है, इसी तरह की व्यवस्था है। यह भी कोई आवश्यक नहीं है कि जो ट्रेनिंग लेते है वे उस में काम करें। वे वहां भी काम कर सकते है और दूसरी जगह भी काम कर सकते है। जब जगह निकलती है तो हम उन्हें वरीयता

देते हैं लेकिन यह कोई कमपल्शन नहीं है कि उन को लिया ही जाये । बाकी सूचना अभी तक मेरे पास नही है, जब आजाएगी तो सूचित कर दूगा ।

श्री नवाब सिंह चौहान : जो सूचना माननीय मत्री जी इकट्ठी कर रहे है उस मे क्या वह यह सूचना भी एकत्र करने की कोशिश करेगे कि जब से ये ट्रेनीज निकलने शुरू हुए हैं उस के बाद अपने प्रेसो मे इन्ही ट्रेड्स की कितनी जगहें निकली और उन जगहो पर इन मे से कितने रखे गए ? अगर मत्री जी यह आश्वासन दे तो मालूम पड जायेगा कि कितनी गल्ती हुई है क्योकि मुझे मालूम है कि प्रेसो मे दूसरे तरीके से लोग लिए जाते है और इन लोगो को छोड दिया जाता है । तो क्या इस तरह के आकडे मत्री जी इकट्ठा करेगे ?

श्री राम किंकर : माननीय सदस्य का सुझाव नोट कर लिया गया है लेकिन इस ऐक्ट मे कही भी इस तरह का आब्लीगेशन नही है कि हम उनको ले ही ले लेकिन इतना हमारा रुपया खर्च होता है इसलिए वरीयता दी जाती है और दी जानी चाहिए ।

श्री छविराम अर्गल : मैं माननीय मत्री जी से जानना चाहता हू कि प्रशिक्षु योजना लागू होने के बाद कितने ट्रेनीज प्रशिक्षण पाने के बाद बेकार बैठे है और उनमे पिछले साल से कितने अनुसूचित जाति तथा जनजाति का आरक्षण पूरा नही किया गया है तथा क्या मत्री जी ऐसी व्यवस्था करेगे कि एस० सी० एस० टी० का जो पिछला आरक्षण पूरा नही किया गया है उसको पूरा करने के लिए सख्ती के साथ व्यवस्था करेगे ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : किस चीज को सख्ती से पूरा करने का प्रावधान करेंगे ?

श्री राम किंकर : मान्यवर, यह प्रश्न इसमें उठता नहीं है । (व्यवधान)

श्री छविराम अर्गल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर आना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न वे समझ नही रहे है ।

श्री छविराम अर्गल : उपाध्यक्ष महोदय, अप्रेंटिसशिप योजना के तहत जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसमे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग भी प्रशिक्षण प्राप्त करते है । वर्तमान मे एस० सी० एस० टी० के कोटे को पूरा नही किया गया है इसलिए क्या इस तरह की व्यवस्था की जायेगी जिससे एस० सी० एस० टी० के पिछले कोटे को मद्देनजर रखते हुए उनके कोटे को पूरा किया जाये ?

श्री सिकन्दर बख्त : इन अप्रेंटिसेज मे इस किस्म का कोई काटा मुकर्रर नही है ।

श्री लक्ष्मी नारायण नायक : क्या माननीय मत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो प्रशिक्षण केन्द्र है वह कितने हैं और कहा-कहा पर है ?

श्री सिकन्दर बख्त : 18 केन्द्र है जो इस तरह से हैं—मिंटो रोड, नई दिल्ली—हेस्टिंग्ज स्ट्रीट, कलकत्ता—अलीगढ नासिक—टेम्पिल स्ट्रीट, कलकत्ता—फरीदाबाद, शिमला—सतरागाछी—काएबटूर—नीलोखेडी—कुरेठी—राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली—चण्डीगढ—भुवनेश्वर—फरीदाबाद मैसूर और अगस्त, 1977 से सिक्कम मे भी एक हो गया है ।

श्री किशोर लाल : उपाध्यक्ष महोदय मैं कोई सवाल नही करना चाहता, मैं सिर्फ

इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब जनता पार्टी की सरकार आई थी तब रेल मंत्री ने आश्वासन दिया था कि जो एप्रिंटसेज होंगे उनमें से 50 परसेन्ट पोस्ट्स इनसे भरी जायेंगी। सभी मंत्रालयों की कैबिनेट तो एक ही होती है। रेलवे में इसको शुरू भी कर दिया गया है। यहां पर मंत्री जी कहते हैं कि ऐसी कोई बात नही है जबकि लोक सभा में यह आश्वासन दिया गया था और उस पर अमल भी शुरू हो गया। अब एक मंत्री एक तरह से अमल करे और दूसरे दूसरी तरह से अमल करे—यह ठीक नही है, अगर कोई क्लियरकट पालिसी सरकार के सामने आये तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री चिमन भाई एच० शुक्ल : उपाध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी सरकार की ओर से इस तरह की बात कहना कि आब्लीगेटरी नही है, कंपलसरी नही है—इस तरह की टेक्निकल बात कहना ठीक नही है। जहां तक मेरी इफार्मेशन है, कोई जगह जब खाली होती है तब उनको इंटर्व्यू तक के लिए भी नही बुलाया जाता है। एप्रेंटिसशिप योजना पर इतना रुपया खर्च करने के बाद सरकार यह कहे कि कोई आब्लीगेशन नही है, सर्विस नहीं दे सकते है—यह बात ठीक नही है। कम से कम उनको इन्टर्व्यू में तो बुलाया जाये, सर्विस देने की बात तो बाद मे आती है। क्या मंत्री जी इस पर विचार करेंगे ?

श्री सिकन्दर बख्त : यह चीज इसलिए शुरू की गई थी कि कुछ इण्डिविजुअल्ज को ट्रेनिंग दी जाये ताकि वे बैटर-इक्विप्ड हो सकें, उनको नौकरी मिलने की सुविधा हो जाए। जहां तक प्रेसेज का ताल्लुक है, उनके लिए यह हिदायत दे दी गई है —

"The Directorate of Printing have issued instructions to the heads of Government of India Presses that for actual appointments, apprentices should get their names registered with the employment exchanges on completion of their training; and qualified apprentices are given preference over other candidates in the matter of employment."

Subletting of Government Quarters in D.I.Z. Area, New Delhi

*268. SHRI SHIV SAMPATI RAM: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether any survey was made in the Government quarters in D.I.Z. Area, New Delhi, to find out the number of allottees of these quarters who have fully or partially let out their quarters to others and also have let out the garages allotted to them;

(b) the particulars in this regard; and

(c) the action taken or proposed to be taken against the defaulters?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : (क) जी, हा।

(ख) और (ग). वर्ष 1977–78 के दौरान डी० आई० जैड० क्षेत्र में दिसम्बर, 1977 तथा जनवरी, 1978 मे दो अकस्मात निरीक्षण किये गये थे।

निरीक्षण किये गये 30 मकानों में से 27 मकानों में उप-किरायेदारी नही पाई गई थी। एक मामले मे उप-किरायेदारी साबित नही हुई। दो अन्य मामलों में आगे जांच की जा रही है।

श्री शिव सम्पत्ति राम : क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि डी० आई० जैड०